

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1 (113)/एम.ई/ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक: 24/8/17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर निश्चेतन विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत् कार्यरत रहेंगे :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. ममता खण्डेलवाल	सह आचार्य	आचार्य	2017-18	01.04.2017
2.	डॉ. विक्रम बैदी	सह आचार्य	आचार्य	2017-18	01.04.2017
3.	डॉ. फतह सिंह भाटी	सह आचार्य	आचार्य	2017-18	01.04.2017
4.	डॉ. सजय कालानी	सह आचार्य	आचार्य	2017-18	01.04.2017
5.	डॉ. अरविन्द खरे	सह आचार्य	आचार्य	2017-18	01.04.2017
6.	डॉ. सोनाली धवन	सह आचार्य	आचार्य	2017-18	01.04.2017
7.	डॉ. हरप्रीत कौर	सह आचार्य	आचार्य	2017-18	01.04.2017
8.	डॉ. मुकेश सोमवशी	सह आचार्य	आचार्य	2017-18	01.04.2017

आदेश से


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. सहायक प्रोग्रामर को चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)

सहायक शासन सचिव